शीर्षक पत्रक

भाग A **लेखापरीक्षा परिणामो का सारांश**		
1.	लेखापरीक्षित संगठन का नाम	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्बा
2.	दल कार्मिको का नाम	
	I. वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी II. सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी III. सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) IV. लेखा परीक्षक	श्री रणवीर सिंह श्री प्रदीप कुमार मौर्या श्री अरूण कुमार शर्मा श्री शशांक वर्मा
3.	लेखापरीक्षा तिथि	07/12/20018 से 18/12/2018
4.	लेखापरीक्षा के प्रारम्भ एवं समापन की तिथियाँ (*समय अवधि विस्तार , यदि कोई दी गई हो तो अलग से इंगित किया जाय*)	**प्रारम्भ तिथि:** 07/12/2018 **समापन तिथि:** 18 /12/2018
5.	क्या लेखापरीक्षित/ संपरीक्षित इकाई के साथ प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया था ? यदि हाँ, तो चर्चा का कार्यवृत/अभिलेख संलग्न करें । यदि नही, तो कारण बताएं।	हॉ (प्रवेश सम्मेलन कार्यवृत **संलग्नक-A**)
6.	निरीक्षण प्रतिवेदन के भाग-II A के अंतर्गत संभावित प्रस्तरों की संख्या (प्रस्तर संख्याओं का संदर्भ दर्शाते हुए)	
7.	धोखाधड़ी एवं दुर्विनियोजन, प्रकलित धोखाधड़ी एवं राजस्व के रिसाव आदि से संबन्धित प्रस्तरों (प्रस्तर का संदर्भ दर्शाते हुए) के संख्या	शून्य
8.	निरंतर अनियमितताओं आदि से संबन्धित प्रस्तरों जिन्हें प्रबंधन पत्र के माध्यम से विभागाध्यक्ष की जानकारी में लाया जाना चाहिए।	शून्य
9.	लेखापरीक्षा के दौरान सामना की गई चुनौतियों का (अभिलेखों , मानव-शक्ति या संसाधन की बाधाएँ, कार्यक्षेत्र की सीमा इत्यादि) एवं उनका लेखापरीक्षा के दौरान कैसे निदान किया गया, का संक्षिप्त उल्लेख करें ।	कोई नही
10.	आगामी लेखा परीक्षा में ऐसी चुनौतियों पर काबू पाने के लिए सुझाव	N/A
11.	क्या लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख /नोडल अधिकारी के साथ बहिर्गमन सम्मेलन का आयोजन एवं मसौदा निरीक्षण प्रतिवेदन पर चर्चा की गई थी ? यदि नही तो कारण बताया जाये ।	हाँ, (बहिर्गमन सम्मेलन कार्यवृत्त **संलग्नक-B**)
12.	मुख्यालय को मसौदा निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने एवं सभी कार्यपत्र प्रस्तुत करने की तिथि (लेखापरीक्षा की समाप्ती तिथि से 07 कार्य दिवसों की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है)	27-12-2018
13.	आबंटित समय अवधि, यदि कोई हो, के संदर्भ में मुख्यालय को मसौदा निरीक्षण प्रतिवेदन इत्यादि जमा करनें में देरी का कारण	
	सामान्य टिप्पणी यदि कोई हो	शून्य
	भाग B **अनुगामित/ अनुसारित लेखापरीक्षा प्रक्रिया का विवरण**	

1.	क्या लेखापरीक्षा दल (व.ले.प.अ./ले.प.अ./ स.ले.प.अ./वरि. लेखापरीक्षक) के प्रत्येक सदस्य के बीच कर्तव्यों का आबंटन नियोजित ब्यापक कार्य योजना के अनुसार तैयार किया गया था एवं संबन्धित दल के सदस्यों द्वारा स्वीकार किया गया था ? यदि नही, कारण एवं स्पष्टीकरण प्रदान किए जाएँ।	हाँ (**संलग्नक-C**)
2.	नमूनाकरण पद्धति को अपनाया गया(आवश्यकतानुसार जितनी पंक्तियों की आवश्यकता हो उपयोग की जाए)	

क्र. सं.	अनुभाग जिसकी लेखापरीक्षा की जा रही है	अभिलेखों की प्रकृति	प्रतिदर्श आकार (sample size)	चयन की प्रतिशतता	अपनाई गयी नमूना विधि
	क्रय/ निर्माण /स्थापना इत्यादि	फाइले/ बाउचरों इत्यादि	(चयनित वास्तविक संख्या दर्शाएँ)	(प्रत्येक वर्ग के लिए प्रतिशतता)	याद्रिछिक/स्तरीय अनुमानित इत्यादि
	लेखा परीक्षा द्वारा व्यय विवरण एवं प्राप्ति के आधार पर सर्वाधिक व्यय एवं प्राप्ति वाले माह क्रमशः फरवरी 2018 एवं फरवरी 2018 को विस्तृत जांच एवं विश्लेषण हेतु चयन किया गया। इसी प्रकार सर्वाधिक व्यय वाले कार्य (सूलिया से वाल्काखाल)को विस्तृत जांच एवं विश्लेषण हेतु चयन किया गया।				

3.	क्या निश्चित किए गए फोकस क्षेत्रों एवं लागू की गई प्रक्रियाएँ योजना के अनुरूप थी ? (लेखा परीक्षा प्रारम्भ करने से विगत समूह अधिकारियों द्वारा अनुनोदित योजना के संदर्भ में यदि नही, तो कारण एवं स्पष्टीकरण प्रदान किए जाएँ)	हाँ
4.	क्या पर्यवेक्षण समूह पर समूह अधिकार/ मुख्यालय अनुभाग द्वारा जांच हेतु चिन्हित सभी मुद्दों का निदान किया गया?	समूह अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण नहीं किया गया। मुख्यालय अनुभाग द्वारा जांच हेतु कोई प्रकरण चिन्हित/सौपा नहीं गया था। यद्यपि आईटीए अनुभाग द्वारा जारी आदेशो का अनुपालन किया गया। (**संलग्नक D**)
5.	क्या कर्तव्यों के आबंटन के अनुसार सौपा गया समस्त कार्य पूरा किया गया? यदि नही, तो कारण एवं स्पष्टीकरण प्रदान किए जाएँ	हाँ (**संलग्नक -E**)
6.	संक्षेप में अगले लेखा परीक्षा के लिए संभावित फोकस क्षेत्रों को इंगित करें ।	
7.	क्या लेखा परीक्षा दलों के सदस्यों द्वारा जांच किए गए दस्तावेजों /अभिलेखों को दर्शाती दैनिक डायरियों को तैयार, हस्ताक्षरित एवं संलग्न किया गया?	हाँ,(**संलग्नक -F**)
8.	क्या मसौदा निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखापरीक्षा टिप्पणियों के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त साक्ष्य (मुख्य दस्तावेज़) प्राप्त करने का प्रमाण-पत्र दिया गया है?	हाँ,(**संलग्नक -G**)
9.	क्या मुख्य दस्तावेजों को प्रस्तर में निर्दिष्ट किया गया है एवं साक्ष्य के स्रोतों को फूटनोट के रूप में प्रदान किया गया है?	हाँ
10.	कृपया नीचे दिये गए विगत निरीक्षण प्रतिवेदन लंबित प्रस्तरों की स्थिति दर्शाएँ।	

निरीक्षण प्रतिवेदनों की तिथि/ अवधि	लंबित प्रस्तरों की संख्या (प्रारम्भ)	लंबित प्रस्तरों की संख्या (समाप्त)	प्रस्तरों के लंबित रहने के कारण
	भाग दो	भाग दो	

		अ	ब	अ	ब	
	05/2003-04 20/2005-06 100/2006-07 09/2008-09 08/2010-11 17/2012-13 66/2013-14 03/2016-17 61/2017-18	- - 1 1 2 3 1 - -	2 1 1 2 1 1 1,2 1,2,3 1,2	- - 1 1 2 3 1 - -	2 1 1 2 1 1 1,2 1,2,3 1,2	खंड द्वारा अनिस्तारित प्रस्तरों की अद्यतन आख्या उच्चाधिकारियों की संस्तुति सहित प्रस्तुत नहीं किया गया।
11.	क्या एक प्रमाण-पत्र दिया गया था कि लेखा परीक्षा का सम्पादन भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकर के लेखा परीक्षा मानक 2017 के अनुसार किया गया था ?			हाँ,(संलग्नक -)		
12.	क्या एम प्रमाण-पत्र कि लेखा परीक्षा दल ने लेखापरीक्षा गुणवत्ता आरेख /फ्रेमवर्क एवं आचार संहिता का अनुपालन किया गया है, प्रदान किया गया है?			हाँ,(संलग्नक -I)		
	दिनांक			**वरि0 लेखा परीक्षा अधिकारी**		

संलग्नक -B

लेखापरीक्षा दल के प्रत्येक सदस्य की कार्य सूची के लिए प्रारूप

सदस्य	सौंपे गए कार्य	अंकित एवं हस्ताक्षरित (अभिस्वीकृति)
श्री रणबीर सिंह चौहान, वरि.ले.प.अधिकारी	Scrutiny outstanding Para's of previous reports. General scrutiny of budget and expenditure files. Detailed scrutiny of all connection record of 3-4 sampled works. General supervision of the party	
श्री प्रदीप कुमार मौर्य, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी	Scrutiny of monthly accounts since last audit. Detailed scrutiny of all connection records of 3-4 sampled works. Checking of Stock Accounts. Other routine/necessary works as per MSO(Audit) and any other work assigned by the Sr. AO	
श्री अरूण कुमार शर्मा, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी (तदर्थ)	Checking of Cash Books and vouchers of test months. Scrutiny of all Deposit Registers. Advance Registers. Other routine/necessary works as per MSO(Audit) and any other work assigned by the Sr. AO	
श्री शशांक वर्मा. लेखापरीक्षक	Checking of Service Books, GPF Pass Books, Contributions of NPS and its connected records. Checking of logbooks of vehicles, purchase and issue of stationary and other consumable items. Scrutiny of SPS register and other establishment expenditure such as TA bills/LTC claims/fixation of pay/salary ledgers. Any other work assigned by the AAO/Sr. AO	

संलग्नक C

समूह अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण का पालन

लेखापरीक्षित इकाई का नाम	पर्यवेक्षण की तिथि	समूह अधिकारी की टिप्पणियां / प्रश्न	टिप्पणियों/प्रश्नों पर लेखापरीक्षा दल द्वारा की गई कार्रवाई
अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्बा	समूह अधिकारी द्वारा इकाई का निरीक्षण नहीं किया गया।		

संलग्नक D

लेखापरीक्षा के समापन पर प्रमाणपत्र

हमने कार्य सूची के अनुसार सभी मुद्दों की जांच की है (निम्नलिखित को छोड़कर) एवं लेखापरीक्षा जांच के आधार पर आवश्यक लेखापरीक्षा टिप्पणियां जारी की गई हैं।

उन मुद्दों का संक्षिप्त विवरण जिनको लेखापरीक्षा में नहीं देखा जा सका	इसके कारण (अभिलेखों की अनुपलब्धता, समय की बाध्यता, मानव-शक्ति की कमी, अन्य बाधाएं / कारण आदि)
शून्य	

वरि॰ले॰प॰अ॰/ ले॰प॰अ॰

संलग्नक E

लेखापरीक्षा टीम के प्रत्येक सदस्य की दैनिक डायरी

दिनांक	संक्षिप्त विवरण जैसे फ़ाइल संख्या, किए गए कार्य के मद, देखे एवं जाँचे गए अभिलेख इत्यादि।			
	श्री रणबीर सिंह, व. लेखा परीक्षा अधि.	**श्री प्रदीप कुमार मौर्य, स. ले. प. अ.**	**श्री अरूण कुमार शर्मा, स. ले. प. अ. (तदर्थ)**	**श्री शशांक वर्मा, लेखा परीक्षक**
07/12/2018	प्रवेश सम्मेलन एवं प्रारम्भिक अभिलेखो की मांग एवं जांच	प्रवेश सम्मेलन एवं प्रारम्भिक अभिलेखो की मांग एवं जांच	प्रवेश सम्मेलन एवं प्रारम्भिक अभिलेखो की मांग एवं जांच	प्रवेश सम्मेलन एवं प्रारम्भिक अभिलेखो की मांग एवं जांच
10/12/2018	वजट एवं व्यय से संबंधित अभिलेखों की जांच, विगत ले. प. प्रतिवेदन के अनिस्तारित प्रस्तरों की जांच	विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक के मासिक लेखों की जांच	रोकड़ बही एवं चयनित माहों से संबन्धित वाउचरो की विस्तृत जांच	कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं की जांच
11/12/2018	चयनित कार्यों पर अभिलेखों की विस्तृत जांच	चयनित कार्यों पर अभिलेखों की विस्तृत जांच	रोकड़ बही एवं चयनित माहों से संबन्धित वाउचरो की विस्तृत जांच	कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं की जांच
12/12/2018	चयनित कार्यों पर अभिलेखों की विस्तृत जांच	चयनित कार्यों पर अभिलेखों की विस्तृत जांच	रोकड़ बही एवं चयनित माहों से संबन्धित वाउचरो की विस्तृत जांच	एन.पी.एस. योगदान का जांच एवं इससे संबंधित अभिलेख
13/12/2018	चयनित कार्यों पर अभिलेखों की विस्तृत जांच	चयनित कार्यों पर अभिलेखों की विस्तृत जांच	रोकड़ बही एवं चयनित माहों से संबन्धित वाउचरो की विस्तृत जांच	चतुर्थ श्रेणी कार्मिको के सामान्य भविष्य निधि लेखो की जांच
14/12/2018	चयनित कार्यों पर अभिलेखों की विस्तृत जांच	Exam -RAE	Stock से संबन्धित अभिलेखो की जांच	चतुर्थ श्रेणी कार्मिको के सामान्य भविष्य निधि लेखो की जांच
15/12/2018	चयनित कार्यों पर अभिलेखों की विस्तृत जांच	Exam-RAE	निक्षेप पंजिका की जांच	चतुर्थ श्रेणी कार्मिको के सामान्य भविष्य निधि लेखो की जांच
17/12/2018	दल का सामान्य पर्यवेक्षण	चयनित कार्यों पर अभिलेखों की विस्तृत जांच	अग्रिम रजिस्टर की जांच	वाहनों का लाग बुक, स्टेशनरी एवं अन्य उपयोग में लाये जा रहे रजिस्टर की जांच
18/12/2018	समापन कार्यवृत्त/चर्चा	समापन कार्यवृत्त/चर्चा	समापन कार्यवृत्त/चर्चा	समापन कार्यवृत्त/चर्चा

(अधिकारी का नाम एवं पदनाम)

संलग्नक F

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता हैं :

- मसौदा निरीक्षण निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखापरीक्षा टिप्पणियों के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त साक्ष्य (मुख्य दस्तावेज़) प्राप्त किए गए हैं एवं मसौदा निरीक्षण निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत कर दिए हैं।

- लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) के लेखापरीक्षा मानक-2017 के अनुसार आयोजित/संपादित की गई हैं।

- लेखापरीक्षा दल ने लेखापरीक्षा गुणवत्ता फ्रेमवर्क/ढांचा एवं आचार संहिता का अनुपालन किया है।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी

लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 89 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्बा** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्बा** के माह **नवम्बर 2017 से नवम्बर 2018** तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री प्रदीप कुमार मौर्या, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, श्री अरूण कुमार शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) एवं श्री शशांक वर्मा, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक **07/12/2018 से 18/12/2018** तक श्री रणवीर सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

(i) **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखा श्री आर.एन.यादव, श्री डी.के. मट्टू एवं श्री राजेश डोभाल, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 15/11/2017 से 27/11/2017 तक श्री नीरज चुंगू वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी एवं उक्त लेखा परीक्षा में माह अप्रैल 2016 से अक्टूबर 2017 तक के लेखा अभिलेखों की सामान्यतःजांच की गई थी।

(ii) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार:**

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्बा के खंड के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संपादित होने वाले विभिन्न निर्माण कार्यो (राज्य योजना/ जिला योजना/ निक्षेप मद में स्वीकृत मार्ग/सेतु/भवन का निर्माण तथा सुधार) के लिए आवश्यक सर्वेक्षण के उपरांत अधीनस्थ अवर अभियंताओ एवं एवं सहायक अभियन्ताओं के माध्यम से आगणन गठित कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति जारी करने/कराने के लिए उत्तरदायी हैं। समस्त कार्यो के सभी स्तरों पर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। जिलाधिकारी के अधीन कार्यों की प्रगति अनुश्रवण तथा प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी है। कार्यों के लिए निर्धारित स्तर से निविदा आमंत्रण कार्य प्रगति, अनुश्रवण तथा मानको से संतुष्ट होने पर भुगतान की कार्यवाही किए जाने हेतु उत्तरदायी हैं।

(iii) बजट

(अ) लेखा परीक्षा अवधि में योजनावार बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(र लाख में)

वर्ष	मुख्य लेखा शीर्ष	गत अवशेष	आवंटन	योग	व्यय	अवशेष
2015-16	2059, 2216, 3054, 4059 & 5054	0	2547.72		2547.33	0.39
2016-17		0.39	2148.49	2148.88	2062.81	0
2017-18		0	2253.00	2253.00	2253.00	0
2018-19 (upto 11/2018)		0	1224.70	1224.07	1077.48	

(iv) इकाई को बजट आवंटन एव राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई "**A**" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

⬇

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग

⬇

मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग

⬇

अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग

⬇

अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग

(v) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्बा** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्बा**, की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। लेखा परीक्षा द्वारा व्यय विवरण एवं प्राप्ति के आधार पर सर्वाधिक व्यय एवं प्राप्ति वाले माह क्रमशः फरवरी 2018 एवं फरवरी 2018 को विस्तृत जांच एवं विश्लेषण हेतु चयन किया गया। इसी प्रकार सर्वाधिक व्यय वाले कार्य (सूलिया से वाल्काखाल)को विस्तृत जांच एवं विश्लेषण हेतु चयन किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन-2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक 26-12-2017 को निरीक्षण किया गया।

3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2018 तथा 09/2018 तक की गई।

4. फार्म 51: माह नवम्बर 2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम - ₹(-)4518715.00
भाग द्वितीय - ₹ 13101.00

5. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 11/2018 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम - ₹ 2077317.00
(ख) सामग्री क्रय – Nil
(ग) नगद परिशोधन - Nil
(घ) निक्षेप- ₹ 11095907.00
(ङ) भण्डार- ₹ 417112.00
(च)

भाग-II (अ)

प्रस्तर-1: अधोमानक मार्ग निर्माण कार्य लागत `183.57 लाख।

शासन द्वारा कांडीखाल सेलूर अगान मोटर मार्ग का डामरीकरण (लंबाई-5.250 किमी)कार्य के लिए `214.69 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान (*पत्रांक संख्या :1098/III(2)/14-03(प्रा. आ.)/2013 दिनांक 20-02-2014)* की गयी। निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति अधीक्षण अभियंता द्वारा `214.69 लाख की प्रदान की गयी। वर्तमान में `214.69 लाख के व्ययोपरांत निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

निर्माण खंड (लो. नि. वि.) चंबा**,** टिहरी के अभिलेखो की लेखा परीक्षा जांच मे पाया कि**,** निर्माण कार्य के अंतर्गत बेस कौर्स (WBM), ड्रैनेज कार्य एवं सुरक्षात्मक कार्य के साथ PC & Seal Coat के द्वारा डामरीकरण कार्य किया जाना था। खंड द्वारा उत्तराखंडअधिप्राप्ति नियमावली -2008 के प्रस्तर 3(10) के प्रावधानों के विरुद्ध मार्ग निर्माण कार्य (Super elevation, सोलिंग, इण्टर, टॉप एवं पटरी भराव व स्कपर कार्य) हेतु किमीवार कुल 05 अनुबंध गठित किया गया था, एवं पीसी कार्य हेतु एक पृथक अनुबन्ध गठित किया गया था। संदर्भित अनुबन्धो एवं उक्त के माध्यम से निष्पादित कार्यों की अवधि का विवरण निम्नवत हैं।

किमी	अनुबंध संख्या	अनुबंध राशि (` लाख में)	कार्य प्रारम्भ तिथि	कार्य पूर्ण किए जाने की वास्तविक तिथि	भुगतान राशि (` लाख में)
1	81/EE; Dt: 21/10/2014	22.20	21/10/2014	12/10/2015	20.77
2	88/EE; Dt: 25/11/2014	30.64	25/11/2014	05/01/2016	24.48
3	87/EE; Dt: 25/11/2014	27.58	25/11/2014	22/09/2015	25.03
4	69/EE; Dt: 17/10/2014	27.19	17/10/2014	22/10/2015	28.76
5	86/EE; Dt: 25/11/2014	26.97	25/11/2014	04/11/2015	24.75
1-5	173/EE; Dt: 30/3/2016 (PC Work)	60.68	30/03/2016	14/07/2016	59.78
	कुल	**195.26**			**183.57**

विभागीय प्रावधानों के अनुसार खंड स्तर पर निर्माण कार्यो के सभी स्तरों पर गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा मानको से संतुष्ट होने पर भुगतान की कार्यवाही किए जाने के लिए अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी हैं। यद्यपि उच्चाधिकारियों द्वारा भी निर्माण कार्यो मे गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा दिशा निर्देश[1] जारी किए जाते है।

मुख्य सचिव द्वारा मोटर मार्ग/सेतुओ के निर्माण कार्य में मानको के अनुरूप गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य जांच दल गठित किया गया। जनपद टिहरी हेतु मुख्य अभियंता (ग. क्षे.) पौड़ी के नेतृत्व में दल का गठन किया गया। मुख्य अभियंता (ग. क्षे.) लो. नि. वि. पौड़ी द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग की जांच (फरवरी 2015) मे निम्न कमियाँ पायी गयी तथा कार्य को असंतोषजनक श्रेणी मे रखा गया।

I. किसी भी किमी में Super elevation का कार्य ठीक नहीं है। लगभग आधे मोड़ों पर super elevation उल्टा हैं, जिस कारण मार्ग यातायात हेतु सुरक्षित नहीं हैं।

II. WBM पत्थर के साइज एवं गुणवत्ता ठीक नहीं हैं।

[1] (मुख्य सचिव 3242/III(2) /14/लो. नि. वि. /2014 दिनांक 26-05-2014, प्रमुख सचिव 4807/III(2) /14/लो. नि. वि. /2014 दिनांक 29-08-2014, प्रमुख अभियंता 962/01/याता./ 2014 20 नवम्बर 2014)

लेखा परीक्षा जांच मे पाया कि, मुख्य अभियंता द्वारा पायी गयी कमियों की निराकरण संबंधी अनुपालन आख्या खण्ड द्वारा दिनांक 27-08-2015 को प्रेषित कर सत्यापन किए जाने से पूर्व ही खण्ड द्वारा कार्य पूर्ण कर माप लिया जा चुका था। मुख्य अभियंता, (लो. नि. वि.) टिहरी द्वारा कमियों के निराकरण का सत्यापन (दिनांक 08-12-2015) में पुनः कार्य को मानको के अनुरूप नहीं पाया गया। इससे स्पष्ट है कि खंड द्वारा कमियों के निराकरण के बिना ही अनुपालन आख्या उच्चधिकारियों को प्रेषित कर अनुबंध का अंतिमिकरण कर दिया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त लेखा परीक्षा जांच मे निम्न तथ्य भी प्रकाश मे आएँ**,** जिससे स्पष्ट है कि खंड द्वारा खंड द्वारा कमियों के निराकरण के बिना ही अनुपालन आख्या उच्चधिकारियों को प्रेषित किया गया तथा अधोमानक कार्य को स्वीकार कर भुगतान की कार्यवाही कर अनुबंध का अंतिमिकरण कर ठेकेदारों को अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

I. निम्न गुणवत्ता/अधोमानक कार्य कार्य हेतु ठेकेदारों के देयक से कोई कटौती भी नहीं की गयी।

II. ठेकेदारों द्वारा प्रारम्भ से ही गुणवत्तापूर्ण/मानको के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा था। अधिशासी अभियंता/ उच्चाधिकारियों द्वारा ठेकेदार को गुणवतापूर्ण कार्य किए जाने संबंधी कोई भी चेतावनी पत्र नहीं जारी किया गया, मात्र सहायक अभियंता स्तर पर गुणवत्तापूर्ण/ मानको के अनुरूप कार्य किए जाने के एक-मात्र निर्देश जारी (30/01/2015) किया गया हैं। जारी पत्र के अनुसार सहायक अभियंता द्वारा भी उन्ही कमियों का जिक्र किया गया हैं जोकि मुख्य अभियंता द्वारा जांच में उजागर हुए।

III. प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट और मुख्य अभियंता द्वारा जांच रिपोर्ट दोनों विरोधाभाषी है। इससे प्रतीत होता है कि जिस Sample की जांच प्रयोगशाला में की गयी उस गुणवत्ता की सामाग्री प्रयोग नहीं की गयी।

IV. डामरीकरण का कार्य जून-2016 मे पूर्ण किया जा चुका था किन्तु प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष लो. नि. वि. कार्यालय द्वारा अनेकों पत्र के माध्यम से कतिपय बिन्दुओ पर स्पष्ट आख्या मांगी गयी, निरीक्षण कर स्पष्ट कर संस्तुति सहित आख्या प्रस्तुत करने हेतु मुख्य अभियंता को अनुस्मारक भी प्रेषित किए गए किन्तु खंड एवं मुख्य अभियंता स्तर से मार्च -2018 तक आख्या नहीं प्रस्तुत की गयी थी।

V. लेखा परीक्षा द्वारा प्रकरण इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि, मुख्य अभियंता द्वारा इंगित कमियों का निराकरण तत्समय ही करा लिया गया था। खंड का उत्तर विरोधाभाषी है क्योंकि प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा मांगी गयी आख्या/निरीक्षण आख्या कार्य पूर्ण किए जाने के दो वर्ष पश्चात तक प्रेषित नहीं किया गया था तथा कार्य को ठीक किए जाने हेतु एक भी साक्ष्य/पत्राचार आदि भी लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

इस प्रकार स्पष्ट है कि खंड द्वारा अपने दायित्वों तथा मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव एवं मुख्य अभियंता के आदेशो का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा हैं। निंम्न गुणवत्ता/अधोमानक कार्य को स्वीकार कर यथोचित कार्यवाही किए बिना भुगतान की कार्यवाही कर अनुबंध का अंतिमिकरण कर ठेकेदारों को अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

अतः `183.57 लाख का निम्न गुणवत्ता का अधोमानक कार्य निष्पादन का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग- दो 'ब'

प्रस्तर-1: मोटर मार्ग नव निर्माण के दौरान ग्रेनुलर (Granular) सतह के ऊपर बिना प्राइम कोट डाले `2.425 करोड़ के बिटुमिन कार्यों का अधोमानक निष्पादन

सड़क व राजमार्ग परिवहन मंत्रालय (MoRTH), भारत सरकार द्वारा सड़कों के निर्माण के दौरान किए जाने वाले बिटुमिन कार्यों के लिए निर्गत आवश्यक सामान्य तकनीकी विशिष्टियों (संख्या-504.8.1 एवं 502.4.2) के अनुसार सड़क के डामरीकरण के दौरान बिटुमिन सतहों के बिछाने से पूर्व विद्यमान ग्रेनुलर (granular) सतह को प्राइम कोट (Prime Coat) से उपचारित किया जाना होता है जिससे ग्रेनुलर (granular) एवं बिटुमिन सतहों के बीच अच्छी पकड़ बन सके और लेपित ब्लेक-टॉप सतह टिकाऊ बने।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड (लो. नि. वि.), चम्बा (टिहरी) के लेखा अभिलेखों की जांच के दौरान यह तथ्य उजागर हुआ था कि यद्यपि खंड द्वारा सड़क मार्गो के निर्माण के लिए उल्लेखित MoRTH की तकनीकी विशिष्टियों को ही अपनाया गया था परंतु चार नव-निर्मित सड़क कार्यों (22.30 किमी. लम्बाई) में ग्रेनुलर सतह (WBM-III) के ऊपर एवं बिटुमिन सतह को विछाने से पूर्व इन MoRTH विशिष्टियों के अनुरूप प्राइम कोट (Prime Coat) नहीं डाला गया था जिसके परिणामस्वरूप निष्पादित बिटुमिन कार्य अधोमान थे। मार्गो के विवरण निमन्वत है:

मार्ग का नाम	अनुबंध सख्या/वर्ष	निष्पादित बिटुमिन कार्यों का विवरण			
		लम्बाई (किमी.)	लेपित सतह (वर्गमीटर)	दर/ वर्गमीटर	लागत (` में)
चोपड़ियालगाँव- कलवाड़ी मोटर मार्ग	01/SE/2016-17	6.50	24,922.09	267.20	66,76,627.91
सुल्या - वाल्खाखाल मोटर मार्ग	12/SE/2016-17	7.50	27,558.60	304.00	83,87,814.40
जड़धारगाँव-इंडवालगाँव-स्वाड़ी मो.मा.	20/SE/2016-17	3.30	12,952.96	266.00	34,45,487.36
काँड़ीखाल-सेलूर-अगान मोटर मार्ग	173/EE/2015-16	5.00	18,680.86	307.06	57,36,144.87
योग		**22.30**	**84,114.51**		**2,42,46,074.54**

लेखा परीक्षा जांच में यह भी पाया गया था कि खंड द्वारा क्रम सख्या-1 पर वर्णित कार्य (चोपड़ियालगाँव- कलवाड़ी मोटर मार्ग) के लिए ग्रेनुलर सतह (WBM-III) के ऊपर बिटुमिन सतह (प्रेमिक्स कार्पेट/सील कोट) लेपन से पूर्व प्राइम कोट डाले जाने हेतु आगणन/तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत प्रावधान स्वीकृत किए गए थे परंतु कार्य निष्पादन के दौरान प्राइम कोट नहीं डाला गया। जबकि शेष तीन मार्गों के लिए आगणन/तकनीकी स्वीकृतियों में प्राइम कोट डाले जाने के प्रावधान सम्मलित ही नहीं किए गए थे।

लेखा परीक्षा आप्पति के सम्बंध में खण्ड द्वारा उत्तर दिया गया था कि अधीक्षण अभियंता महोदय द्वारा अपने पत्रांक संख्या-1356/65सी.8/2015-16 दिनांक 20-02-2016 के द्वारा सुझाव दिये थे कि सिंगल लेन मोटर मार्गों में जहां यातायात के कारण प्राइम कोट डालना संभव न हो वहाँ लो.नि.वि. विशिष्टि-20.36 के अनुसार टेक-कोट डालकर प्रेमिक्स कार्पेट/सील कोट का कार्य करवाए जाय। उत्तर मानने योग्य नहीं था क्योंकि अधीक्षण अभियंता के उक्त सुझाव यदि ग्रेनुलर सतह (WBM-III) के ऊपर सीधे टेक-कोट डालकर बिटुमिन सतह (प्रेमिक्स कार्पेट/सील कोट) लेपन से संबन्धित है तो यह MoRTH विशिष्टियों के विरुद्ध है। साथ ही उपलब्ध कराये गए साक्ष्यों (लो. नि. वि. विशिष्टि-20.36 की प्रति) से भी स्पष्ट नहीं होता हे कि नव निर्माण के दौरान ग्रेनुलर सतह (WBM-III) के ऊपर सीधे टेक-कोट डालकर प्रेमिक्स कार्पेट/सील कोट किया जा सकता है। वस्तुत: यह विशिष्टि प्रेमिक्स कार्पेट डालने से संबन्धित है जबकि प्रशगत आपत्ति उससे पूर्व की कार्यमद अर्थात ग्रेनुलर सतह (WBM-III) के ऊपर प्राइम कोट डाले जाने के प्रावधान से संबन्धित है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि विभाग के अन्य वृतों की सिंगल लेन ग्रामीण सड़कें व राज्य मेँ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधीन बनने वाली सभी ग्रामीण सड़कों का निर्माण इन्ही MoRTH विशिष्टियों के अनुसार ग्रेनुलर सतह (WBM-III) के ऊपर बिटुमिन सतह (प्रेमिक्स कार्पेट/सील कोट) लेपन से पूर्व प्राइम कोट डालकर किया जाता है। इस प्रकार, बिना प्राइम कोट डाले निष्पादित ये बिटुमिन कार्य अधोमानक थे और निर्मित सतह का डिजाइन आयु से पूर्व क्षतिग्रस्थ होने की पूर्ण सम्भावना है।

अतः `2.425 करोड़ लागत के अधोमानक कार्य निष्पादन का यह प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर-2: पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त किए बिना मार्ग निर्माण पर अनियमित व्यय `187.65 लाख।

शासन द्वारा ज्वारना- बंगियाल मोटर मार्ग (लंबाई - 17.00 किमी) के निर्माण के लिए `294.48 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान (*पत्रांक संख्या :2555/III-2/06-41/06 दिनांक 26-09-2006*) की गयी। मार्ग निर्माण का मुख्य उदेश्य झकोगी एवं डांग बसावट/ग्राम को संयोजकता प्रदान किया जाना था। संबन्धित बसावट को जोड़ने के लिए अधीक्षण अभियंता द्वारा 11.80 किमी लंबाई का संमरेखण स्वीकृत किया गया। स्वीकृत संमरेखण मे से प्रथम 7.80 किमी (ग्राम लागू से झकोगी) मे से अधिकांश भाग (लगभग 6.20 किमी) आरक्षित वन भूमि मे से गुजरता था तथा अंतिम 4.00 किमी भाग (झकोगी से डांग) नाप भूमि मे पड़ता है। वर्तमान में लक्षित बसावट को संयोजित किए जाने हेतु स्वीकृत लंबाई 17.00 किमी के सापेक्ष 9.50 किमी लंबाई मे मार्ग निर्माण कार्य पर सम्पूर्ण स्वीकृत धनराशि का उपभोग किया जा चुका है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग**–VI** के प्रस्तर 316(2) के अनुसार "where there are material deviations from the original proposals, even though the cost of the same may possible be covered by savings on other items, revised administrative approval must be obtained from the authority competent to approve the cost"

निर्माण खंड (लो. नि. वि.) चंबा**,** टिहरी के अभिलेखो की लेखा परीक्षा जांच मे पाया कि**,** खंड द्वारा वन संरक्षण अधिनियम - 1980 के प्रस्तर 4.4 के प्रावधानों[2] के विरुद्ध आरक्षित वन भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव गठित किए जाने के साथ ही नाप भूमि (4.00 किमी) मे मार्ग निर्माण हेतु आंशिक प्राविधिक स्वीकृति (*पत्रांक: 993/3(350) याता.–पर्व./2009 दिनांक 28-02-2009 लागत -`88.67 लाख*) प्राप्त कर 4.00 किमी भाग मे निर्माण कार्य `106.83 लाख के व्ययोपरांत मार्च 2011 में पूर्ण किया गया। अवशेष भाग हेतु प्रेषित वन भूमि प्रस्ताव में अधिक वृक्ष आने के कारण भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव निरस्त (01/2012) कर दिया गया। भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव निरस्त किए जाने के बाद खंड द्वारा मार्ग निर्माण हेतु पृथक संमरेखण (लंबाई 5.50 किमी) की वन भूमि प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त कर मार्ग निर्माण कार्य `187.65 लाख के व्ययोपरांत पूर्ण किया गया। इस प्रकार खंड द्वारा उपरोक्त वित्तीय प्रावधानों के विरुद्ध स्वीकृत 17.00 किमी लंबाई के सापेक्ष प्राप्त की गयी सम्पूर्ण स्वीकृत धनराशि का उपभोग**,** मात्र 9.50 किमी में कार्य निष्पादन हेतु किया गया। इस हेतु शासन से नई लंबाई के अनुरूप वर्तमान तक पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त नहीं किया गया।

---

[2]**If a projects invites forest as well as non forest land, work should not be started on non forest land till approval of Central Government for release of forest land under the Act has been given"**

लेखा परीक्षा जांच में यह भी यह भी पाया कि, खंड द्वारा वन भूमि की स्वीकृति प्राप्त कर अवशेष 5.40 किमी लंबाई में मार्ग निर्माण से लक्षित बसावट झकोगी एवं डांग को दोहरी को बहु-संयोजकता (**Multi-Connectivity)** प्रदान किया गया क्योंकि मात्र 4.00 किमी लंबाई मे मार्ग निर्माण से लाभान्वित बसावट/लक्षित बसावट झकोगी एवं डांग को दोहरी (कमांड ज्वारना मोटर मार्ग एवं मैडखाल बंगियाल ज्वारना मोटर मार्ग) संयोजकता प्रदान की जा चुकी थी। खंड की यह कार्यवाही निर्माण कार्य की स्वीकृति के संबंध मे जारी शासनादेश[3] के प्रावधानों के भी विरुद्ध है, जिसके अंतर्गत बहु-संयोजकता (**Multi-Connectivity)** को हतोत्साहित किया गया है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि,खंड द्वारा वास्तविक सर्वे के उपरांत प्राप्त लंबाई मे कार्य कराया गया खंड द्वारा पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त न किए जाने के संबंध मे कोई उत्तर नहीं दिया गया।

इस प्रकार स्पष्ट है कि स्वीकृत लंबाई के सापेक्ष कम लम्बाई मे कार्य निष्पादन हेतु सम्पूर्ण स्वीकृत धनराशि का उपभोग किए जाने हेतु पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त किए बिना लक्षित बसावट को बहु-संयोजकता (**Multi Connectivity)** प्रदान किए जाने की कार्यवाही वित्तीय प्रावधानों एवं शासनादेश के विरुद्ध है।

अतः पुनरीक्षित स्वीकृति के बिना 5.40 किमी लम्बाई मे मार्ग निर्माण पर `187.65 लाख अनियमित व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

[3] संख्या: 5443/**III(2)/15-13 (**सामान्य)/20156 दिनांक 23 जुलाई 2015

भाग –II(ब)

प्रस्तरः -3 निविदा फार्म शुल्क के साथ जी.एस.टी. वसूल न किया जाना `142290

शासन द्वारा पत्रांक सं. 2087 III (2)/2017-75(सामान्य)/2000 टी.सी. दिनांक 16 अगस्त 2017 के द्वारा निविदा फार्म शुल्क की नयी दरें निर्धारित की गयी थी। निर्धारित दरों पर जी.एस.टी. की वसूली 18 प्रतिशत की दर से की जानी थी

निर्माण खंड (लो. नि. वि.) चंबा, टिहरी के अभिलेखो की लेखा परीक्षा जांच (11/2018) मे पाया कि, अक्टूबर 2017 से लेखा परीक्षा तिथि तक वर्तमान तक रू. 790500 के निविदा फार्म की बिक्री की गयी किन्तु निविदा फार्म शुल्क के साथ जी.एस.टी. `142290 (790500 *18%) की वसूली नहीं की गयी।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा उत्तर में बताया गया कि निविदा कार्य की लागत यदि `10 लाख से कम है तो निविदा फार्मों पर शुल्क नहीं लिया जाना था। खंड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त शासनादेश में इस आशय की कोई छूट प्रदान नहीं की गयी है और खंड द्वारा इस संबंध में लेखापरीक्षा को कोई पृथक आदेश/साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

अतः निविदा फार्मों के साथ जी.एस.टी. (`142290/-) वसूल न किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर का विवरण		
		भाग –II (अ)	भाग –II (ब)	STAN
1.	05/2003-04	-	2	
2.	20/2005-06	-	1	
3.	100/2006-07	1	1	
4.	09/2008-09	1	2	
5.	08/2010-11	2	1	
6.	17/2012-13	3	1	
7.	66/2013-14	1	1,2	
8.	03/2016-17	-	1,2,3	
9.	61/2017-18	-	01,02	01,02,03,04,05,06,07

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
खंड द्वारा अनिस्तारित प्रस्तरों की अद्यतन आख्या उच्चाधिकारियों की संस्तुति सहित प्रस्तुत नहीं किया गया।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य.....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्बा तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

   (i) प्रकीर्ण अग्रिम रजिस्टर (**2017-18**)

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य

3. **कार्यालय गठन से निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।**

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**	
(i)	श्री विपुल कुमार सैनी	अधिशासी अभियंता	04/10/13 से 27/07/17 तक
(ii)	श्री गौरव थपलियाल	अधिशासी अभियंता	27/07/17 से अब तक

4. **विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।**

   1. श्री बी.डी. जोशी
   2. श्री रविन्द्र रतन भूषण राणा

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्बा को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार, आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-2481095 को प्रेषित किया जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
आर्थिक क्षेत्र-2

<u>नमूना लेखा परीक्षा टिप्पणी</u>

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग चम्बा, टिहरी के माह नवम्बर -2017 से नवम्बर 2018 तक के अवधि की लेखा अभिलेखों लेखा परीक्षा सर्वश्री प्रदीप कुमार मौर्या, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी श्री अरुण कुमार सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी (त.) एवं श्री शशांक वर्मा लेखा परीक्षक द्वारा 07/12/2018 से 18/12/2018 तक श्री रणवीर सिंह, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे सम्पन्न लेखा परीक्षा पर आधारित नमूना लेखा परीक्षा टिप्पणी।

प्रस्तर- 1:- विगत लेखा परीक्षा के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपान आख्या उच्चाधिकारिओ की संस्तुति सहित एवं नमूना लेखा परीक्षा टिप्पणी की अनुपालन आख्या कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) को प्रेषित किया जाना अपेक्षित रहेगा।

प्रस्तर- 2:- लेखा परीक्षा द्वारा कर्मचारिओ के सेवा पुस्तिका मे वेतन वृद्धि, सेवा सत्यापन, अवकाश लेखो को अद्यतन किए जाने एवं पारिवारिक विवरण एवं नामांकन प्रपत्र आदि के संबंध मे इंगित कमियो (*ज्ञाप संख्या-793/45, पृष्ठ संख्या- 61 से 64*) का निराकरण कर आगामी लेखा परीक्षा को सत्यापन कराया जाना अपेक्षित रहेगा।

प्रस्तर- 3:- खंड के प्रपत्र-51 के दोनों भाग के अंतरों का समायोजन कर आगामी लेखा परीक्षा को सत्यापन कराया जाना अपेक्षित रहेगा।

प्रस्तर- 4:- लेखा परीक्षा द्वारा श्री पंकज तिवारी कनिष्ठ अभियंता शासनादेश दिनांक 10-10-2017 के अनुसार वेतन निर्धारण कर तत्संबंधी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहेगा।

प्रस्तर- 5:- लेखा परीक्षा द्वारा श्री पारेश्वर प्रसाद, श्री दयाल धार, श्री प्रताप सिंह, श्री ज्ञान सिंह श्री सुंदर लाल, श्रीमती भागीरथी देवी, के सामान्य भविष्य निधि अभिलेखो के संबंध मे, इंगित कमियो/प्रविष्टियों को संसोधित कर पुनः ब्याज गणना (*ज्ञाप संख्या-793/55, पृष्ठ संख्या- 115 से 120*) कर आगामी लेखा परीक्षा को सत्यापन कराया जाना अपेक्षित रहेगा।

प्रस्तर- 6:- लंबित प्रकीर्ण अग्रिम की वसूली/समायोजन की कार्यवाही कर आगामी लेखा परीक्षा को सत्यापन कराया जाना अपेक्षित रहेगा।

प्रस्तर-7:- खंड के अंतर्गत यंत्र-संयंत्र (Form-15) पंजिका में प्राप्ति और निर्गत कॉलम मे वर्ष का अंकन किए जाने एवं सार (**Abstract)** को अधिशासी अभियंता द्वारा सत्यापित कर आगामी लेखा परीक्षा को सत्यापन कराया जाना अपेक्षित रहेगा।

सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी

संख्या: आर्थिक-II/एआईआर- /2018-19 दिनांक /12/2018

प्रतिलिपि अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग चम्बा, टिहरी इस आशय के साथ प्रेषित किया जाता है कि, उपरोक्त आपतियों की अनुपालन आख्या इसकी प्राप्ति के एक माह के भीतर सीधे उप महालेखाकार (आर्थिक अनुभाग-II) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड महालेखाकार-भवन कौलागढ़ देहरादून को प्रेषित करें।

सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी

<u>Appreciation Note</u>

Name of Sr. AO/AO: **श्री रणवीर सिंह**

Party No.: 06

Quarter: III rd

Sl. No.	Name of unit and category	Contribution of Party		Para proposed for PDP	If there is no PDP proposed reason thereof
		Part II (A)	Part II (B)		
	कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्बा			-	-

Signature of Sr. AO/Party No - 06

Editing note with remarks (This will be AO/AO Headquarter/SS)

DAG/SS **Sr. AO (HQ)/SS**

जी.पी.एफ. से सम्बन्धित डाटाबेस

इकाई का नामः कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्बा

लेखा परीक्षा दल सं0 - 06

इकाई का नाम	लेखापरीक्षा अवधि	लेखापरीक्षा तिथि	कर्मचारियों की संख्या		जांच की गयी संख्या		आपत्ति का विवरण
			चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	अन्य कर्मचारी	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	अन्य कर्मचारी	
कार्यालय, अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी	11/2017 से 11/2018	07/12/2018 से 18 /12/2018	35	0	35	0	

व. लेखापरीक्षा अधिकारी **सहा. लेखापरीक्षा अधिकारी** **लेखा परीक्षक**

आश्वासन मेमो (Assurance Memo)

प्रामाणित किया जाता है कि कार्यालय, **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्बा** के अनुपालन लेखा परीक्षा (Compliance Audit) के दौरान लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन हेतु निर्धारित समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कर ली गयी हैं एवं उन्हें निरीक्षण प्रतिवेदन में यथास्थान संलग्न किया गया हैं। लेखा परीक्षा दल संख्या -06 द्वारा मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराएं गायें ऑडिट मेमो बुक संख्या 793 में ऑडिट मेमो संख्या 38 से 60 तक का प्रयोग किया गया हैं।

सहा. लेखापरीक्षा अधिकारी
लेखा परीक्षा दल संख्या-06

व. लेखापरीक्षा अधिकारी
लेखा परीक्षा दल संख्या-06

सहा. लेखापरीक्षा अधिकारी
(मुख्यालय)

व. लेखापरीक्षा अधिकारी
(मुख्यालय)